The Number of Pending Cases of the Arbitration

114. **Sh. PARDEEP CHAUDHRY(Kalka):**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the number of the cases of the arbitration related to the remaining acquired land from the year 2010 to 2016 for widening of Highway from Ramgarh to Barwala portion of National highway number 73 (Now 7A) from Panchkula to Yamunanagar are lying pending with the Collector, Panchkula togetherwith the date since when these are lying pending;

b) the reasons for delay in said cases related to arbitration; and

c) whether any instructions are likely to be given by the Government to the NHAI officers and Collector, Panchkula to dispose-off these pending cases within next 3 months; if so, the details thereof?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

(a) Sir, Ramgarh to Barwala section of Panchkula-Yamunanagar Highway, National Highway (NH-7A) is under jurisdiction of National Highway Authority of India (NHAI). DC, Panchkula has been appointed as Arbitrator for this stretch. 452 cases are under process of Arbitration. These cases are pending since 16.03.2020.

(b) Due to Covid-19 pandemic, proceedings were delayed. NHAI has raised objection under section 29-A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. CWP No. 29849 of 2019, which is pending in Hon’ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

(c) No, Sir.

मध्यस्थता के लंबित मामलों की संख्या

114. श्री प्रदीप चौधरी (कालका):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) कलेक्टर, पंचकूला के पास लंबित पड़े पंचकूला से यमुनानगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (अब 7ए) के भाग रामगढ़ से बरवाला तक राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए वर्ष 2010 से 2016 तक शेष अधिग्रहित भूमि से संबंधित मध्यस्थता के मामलों की संख्या कितनी है तथा वह कब से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) मध्यस्थता से संबंधित उक्त मामलों में देरी के कारण क्या हैं; तथा

(ग) क्या सरकार द्वारा अगले 3 महीनों के अंदर इन लंबित मामलों को निपटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कलेक्टर, पंचकूला को कोई निर्देश दिए जाने की संभावना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

(क) श्रीमान् जी, पंचकूला-यमुनानगर राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-7ए) का खंड रामगढ़ से बरवाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकार क्षेत्र में है। इस खंड के लिए डी.सी, पंचकूला को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। 452 मामले मध्यस्थता की प्रक्रिया में हैं। ये मामले 16.03.2020 से लंबित हैं।

(ख) कोविड-19 महामारी के कारण कार्यवाही में देरी हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29-ए के तहत आपत्ति उठाई है। सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 29849 ऑफ़ 2019, जोकि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में लंबित है।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।